हरिनारायण बनाम जे०डी०ए०

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	28/5/24	38/21 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी व स्वयं वादी उपस्थित नहीं। वादी द्वारा प्रतिवादी सं० 3,4,5 की तलबी पूर्व कारबाई नहीं। उन्हें कई अवसर दिये जा चुके हैं। अतः वादी का वाद 09 R5C PC में खारिज किया जाता है। पत्रावली को सूचीबद्ध होकर ही नम्बर से काम होकर बाद, दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (साँगानेर)